झूठ की साजिश का पर्दाफाश

अरुण जेटली
राज्य सभा में विपक्ष के नेता

सच और झूठ के बीच मूलतः बड़ा अंतर होता है। सच्चाई को बदला नहीं जा सकता। झूठ विरोधाभासों से भरा हुआ होता है। झूठ का पर्दाफाश होता है। 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में नरेन्द्र मोदी के विरोधियों ने झूठ की जो साजिश रची, उसका भी यही हश्र हुआ।

गुजरात के दंगे भारत के हाल के इतिहास में एक पीड़ादायक अध्याय थे। साबरमती एक्सप्रेस को आग लगाना और उसके बाद हुए दंगों में अनेक बहुमूल्य जानें गईं, कई लोग घायल हुए और बड़े पैमाने पर सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा।

खेद की बात ये है कि श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाए गए कि दंगों की साजिश करने के लिए वह जिम्मेदार थी। सच्चाई कुछ और ही थी। ऐहतियाती तौर पर और दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए कुल 1,00,488 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारत में किसी भी जातिगत अथवा धार्मिक तनाव के कारण गिरफ्तार लोगों की संख्या की तुलना में यह संख्या काफी अधिक थी। किसी भी अन्य दंगे में गड़बड़ी के दौरान पुलिस गोलीबारी में इससे ज्यादा लोग मरे हैं। इससे पुलिस के साथ मिलीभगत को आरोप खारिज होता है। 4272 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 1168 मामलों में फैसला सुनाया गया और हजारों आरोपियों को दोषी ठहराया गया। इनमें से अधिकतर कार्रवाइयां गुजरात पुलिस ने की।

पहली बार 2006 में यानी दंगों के चार वर्ष बाद आरोप लगाया गया कि गुजरात पुलिस आरोपियों के साथ साजिश कर रही है। चार बड़े मामले विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंप दिए गए जिसका गठन उच्चतम न्यायालय ने किया। इस टीम का नेतृत्व सीबीआई के पूर्व निदेशक डा. आर. के. राघवन किया और इसमें उन पुलिस अधिकारियों को शामिल किया गया जो गुजरात काडर के नहीं थे। एसआईटी ने मामलों की जांच की, कुछ और आरोपियों को गिरफ्तार किया और गुजरात पुलिस द्वारा दायर आरोप–पत्र मे मामूली संशोधन किया। उच्चतम न्यायालय ने एसआईटी द्वारा दायर आरोप–पत्रों को स्वीकार कर लिया और इनकी निष्पक्षता के लिए उसकी सराहना की।

चूंकि एसआईटी की किसी भी रिपोर्ट में श्री नरेन्द्र मोदी या उनकी सरकार के शामिल होने का कोई प्रमाण नहीं था, 8/6/2006 को श्रीमती जाकिया जाफरी ने एक ताजा शिकायत दर्ज करा दी। उसमें उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और 63 अन्य ने संवैधानिक ब्रेकडाउन की साजिश की जिसके परिणामस्वरुप राज्य में दंगों की बड़ी साजिश की गई। इनमें से कोई भी आरोप नानावती आयोग को दिए गए बयान में शामिल नहीं था। उनकी शिकायत में जितनी भी बातें थीं, तथ्यों की दृष्टि से उनमें से बहुत सी बातें झूठी थीं। उनकी शिकायत का सार ये था कि 27/2/2002 को गांधीनगर में मुख्यमंत्री के घर पर हुई बैठक में स्वर्गीय श्री हरेन पांड्या और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री संजीव भट्ट मौजूद थे जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों ने संकेत दिया कि हिन्दू समुदाय को उसका गुस्सा निकालने की इजाजत दी जाए। यह पता लगने पर कि स्वर्गीय हरने पांड्या के फोन रिकॉर्ड उनके गांधीनगर में नहीं बल्कि अहमदाबाद में उपस्थित होने का संकेत दे रहे थे, उन्होंने इस आरोप को और आगे नहीं बढ़ाया। बैठक में मौजूद सभी आठ वरिष्ठ अधिकारियों से एसआईटी ने पूछताछ की। उन्हें साफ–साफ पता था कि संजीव भट्ट बैठक में मौजूद नहीं थे और न ही मुख्यमंत्री ने इस तरह का कोई बयान दिया। रिकॉर्ड बताते हैं कि संजीव भट्ट उस समय अहमदाबाद में थे और कुछ वर्ष बाद सबूत गढ़ने के लिए कुछ लोगों के साथ साजिश की। उच्चतम न्यायालय ने

27/11/2007 को एसआईटी को निर्देश दिया कि वह इस मामले को भी देखे। एसआईटी ने सभी 63 कथित साजिशकर्ताओं से पूछताछ की। उन्होंने मुख्यमंत्री से नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की। सभी प्रमुख गवाहों से पूछताछ की गई और 24/4/2011 को उच्चतम न्यायालय को दी गई रिपोर्ट में कहा गया कि शिकायत से श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ मामला नहीं बनता। एसआईटी की रिपोर्ट से असंतुष्ट, उन्होंने एक एमिकस करी नियुक्त करने के लिए दबाव बनाया जिसने 25/4/2011 को अपनी राय दी। 12/4/2011 को एसआईटी से कहा गया कि वह सीआरपीसी की धारा 173 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट दे। एमिकस करी की रिपोर्ट लेने के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। तब से मजिस्ट्रेट ने सभी सबूतों की जांच की, शिकायतकर्ता की याचिकाओं का विरोध किया, दलीलों को विस्तार से सुना और श्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ मामला बंद करने की स्वीकृति दे दी। सच्चाई की जीत हुई। एक अपराध में मुख्यमंत्री को फसाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। ऊपर दिए गए तथ्यों से कुछ ऐसे निष्कर्ष निकलते हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। कांग्रेस पार्टी और उसके प्रायोजक एनजीओ श्री नरेन्द्र मोदी का राजनैतिक तौर पर मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने सीबीआई, एसआईटी, अदालतों में पड़ी याचिकाओं का इस्तेमाल करने का प्रयास किया और उन्हें बदनाम करने का अभियान चलाया। इनमें से किसी भी चीज में उन्हें सफलता नहीं मिली। झूठ में बचाव के कई रास्ते थे जिन्हें प्रस्तुत किया गया। अधिकारियों के एक छोटे समूह ने कांग्रेस और एनजीओ के लिए यह राजनैतिक रणनीति बनाई। उन्होंने सबूतों को बढ़ा–चढ़ाकर पेश किया। कुछ बेबसाइटों ने सच्चाई सामने नहीं आने देने के लिए स्टिंग ऑपरेशन किया।

राजनैतिक तौर पर, श्री नरेन्द्र मोदी इस मामले में और मजबूत होकर उभरे हैं। उन्होंने बेकायदा लोगों, मीडिया में विद्वेष रखने वाले गुट और दुर्भावना से प्रेरित एनजीओ का सामना किया। वह अपने रास्ते से नहीं भटके। उन्होंने गुजरात के विकास के लिए काम करने पर जोर दिया और लोगों से सीधा संपर्क कायम करने में सफल रहे। इसके कारण उन्हें 2002, 2007 और 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में सफलता मिली। मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने श्री नरेन्द्र मोदी को क्लीन चिट दे दी और उन लोगो को दोषी ठहराया जो उनके खिलाफ सबूत गढ़ रहे थे। वह विचलित हुए बिना 2014 का चुनाव अभियान जारी रखे हुए हैं।

******